प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 17.12.2025

दबिश के दौरान 04 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा** वारण्टी नाम पता महेन्द्र पुत्र मिश्रीलाल निवासी बरईपुर थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री शैलेन्द्र सिंह, का0 अरुण यादव।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता 1. रामपलट उर्फ भोला पुत्र गनपत साकिन परसा पश्चिम 2. गनपत पुत्र स्व0 राजबली साकिन परसा पश्चिम थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री नन्दू गौतम, हे0का0 बदरे आलम, हे0का0 सोनू पटेल।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता अशफाक पुत्र शब्बीर अहमद निवासी छपिया छितौना थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार सिंह, हे0का0 विनोद कुमार यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा* 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा* 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 93 वाहनों से 98,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 17.12.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 93 वाहनों से 98,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अमित कुमार*** के पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक थाना बेलहरकला ***श्री अनिल कुमार*** के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 318/2025 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त नाम पता मो0 नसीम पुत्र मो0 इस्लाम निवासी वार्ड नं0 20 आजाद नगर (बेलसड़ तेतरी बाजार) थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर को सांथा चौराहे के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण
मो0 नसीम पुत्र मो0 इस्लाम निवासी वार्ड नं0 20 आजाद नगर (बेलसड़ तेतरी बाजार) थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर **।**

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम*-** वरिष्ठ उ0नि0 वीरेन्द्र कन्नौजिया, उ0नि0 राधेश्याम, हे0का0 विजय कुमार सिंह, का0 रवीन्द्र निषाद, का0 रोहित कुमार।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट करने के मामले में 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास व कुल 3000रू0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 17.12.2025 को ***माननीय न्यायालय एफ0टी0सी0/ एसीजेएम संतकबीरनगर*** द्वारा मारपीट करने के मामले में 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास व कुल 3000रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 814/2016 धारा 323, 325, 504 भादवि थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त विश्राम पुत्र बनवारी निवासी टेडुआ थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकृति के आधार पर धारा 323 भादवि के अपराध के लिए 500 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा व धारा 325 भादवि के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा तथा धारा 504 भादवि के अपराध के लिए 500 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप नाबालिग के साथ दुष्कर्म के अपराध में एक अभियुक्त को 08 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 7000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 17.09.2025 को ***माननीय न्यायालय एएसजे/एसपीजे/ पाक्सो एक्ट जनपद संतकबीरनगर** के न्यायाधीश द्वारा 01 अभियुक्त को 08 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 7000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

उक्त प्रकरण में वादिनी मुकदमा द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर बावत उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री को नशीला प्रदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर निरीक्षक श्री ईश्वरचन्द्र प्रधान द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 450/2017 धारा 376, 504, 506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त शब्बीर पुत्र अब्दुल जब्बार निवासी लुथई थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर को 376, भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट के अपराध में दोषसिद्ध किया गया। दोषसिद्ध अभियुक्त को धारा 376 तथा ¾ पाक्सो एक्ट में 08 वर्ष सश्रम कारावास व कुल 7000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।